

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना-15 दिनांक.....

श्री रणजीत प्रसाद सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-505/11) अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 31.12.2016 को 10,000/- (दस हजार) रूपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-159/16, दिनांक 31.12.2016, धारा-7/13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के पत्रांक-36, दिनांक 10.01.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) (ग) एवं नियम-9 (2) क में निहित प्रावधानों के तहत श्री सिंह को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 31.12.2016 के प्रभाव से) से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने पर भी इनका निलंबन यथावत् रहेगा तथा ये उक्त निर्धारित मुख्यालय में अपना योगदान देंगे।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-08/नि०था०-11-01/2017,सा०प्र०...../पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-08/नि०था०-11-01/2017,सा०प्र०,1146...../पटना, दिनांक 31-1-17
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, बेतिया/मुजफ्फरपुर/श्री रणजीत प्रसाद सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-505/11) (सम्प्रति शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में संसीमित)/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-12,14/चारित्र्य कोषांग एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-08/नि०था०-11-01/2017,सा०प्र०,1146...../पटना, दिनांक 31-1-17
प्रतिलिपि-अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को संकल्प की अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति श्री रणजीत प्रसाद सिंह (संसीमित बन्दी) को हस्तगत कराते हुए विभाग को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-08 / नि०था०-11-01 / 2017, सा...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं
दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।